-1-

210

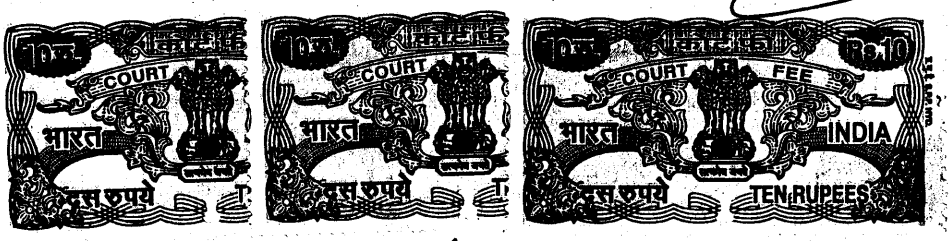

निग-3516-I-16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

लखनलाल उपाध्याय तनय स्व.श्री गिरधारी ब्राह्मण
साकिन ग्राम मऊ पुर तह. नौगॉव
जिला छतरपुर (म०प्र०) ....आवेदक

//विरूद्ध//

1. मनमोहन उपाध्याय तनय स्व.श्री गिरधारी ब्राह्मण साकिन ग्राम मऊ पुर हाल निवासी सर्किट हाऊस जिला छतरपुर (म०प्र०)
2. हरदयाल उपाध्याय तनय स्व.श्री गिरधारी ब्राह्मण साकिन ग्राम मऊ(पुर) हाल नि. बिजावर मोहनगंज
3. दयाराम उपाध्याय तनय स्व.श्री गिरधारी ब्राह्मण मऊ पुर हाल निवासी शारदा कालौनी महाराजपुर
4. रामसेवक ब्राह्मण तनय स्व.श्री गिरधारी ब्राह्मण निवासी मऊ पुर तह. नौगाव ....अनावेदकगण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर के प्र. क्र. 52/अपील/2004-05 में पारित आदेश दि. 22-09-05 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक आपस में सगे भाई है जो अलग-अलग रहकर निवास कर रहे है तथा अपनी-अपनी कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं आवेदक शासकीय संस्था गड़ी मलाहरा में शिक्षक के पद पर रहा है उसने रजिस्टर्ड विकयपत्र से अपनी भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसे अनावेदकगणों द्वारा संयुक्त परिवार की भूमि में सम्मलित कर नामांतरण पंजी में फर्जी बंटवारा आदेश पारित करा लिया अनावेदक क्र.4 जो कि सरपंच के पद पर पदस्थ थे उन्होनें बालावाला तरीके से पंचायत की फर्जी ग्राम पंचायत की पंजी पर बंटवारा करा लिया जिसकी जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अपील सम्मानीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो समयावधि वधित मान्य की जाकर निरस्त की गई है जिसके विरूद्ध यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक....निग...3516-I/16....जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.1.17	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता दिलीप पासी एवं अनावेदक क्र.2 की ओर अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह भदोरिया उपस्थित शेष अनावेदक पूर्ण से एकपक्षीय, उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के प्रकरण क्रमॉक 52/अपील/2004—05 में पारित आदेश दिनॉंक 22—09—05 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदक एवं अनावेदक गण आपस में सगे भाई है। जो अलग—अलग रहकर निवास कर रहे है तथा अपनी—अपनी कृषि भूमि पर काबिज है आवेदक शासकीय संस्था गड़ी मलाहरा में शिक्षक के पद पर रहा है उसने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से अपनी भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसे अनावेदकगणों द्वारा संयुक्त परिवार की भूमि में सम्मलित कर नामांतरण पंजी में फर्जी बंटवारा आदेश पारित करा लिया अनावेदक क्र.4 जो कि सरपंच के पद पर पदस्थ थे। उन्होनें बलावाला तरीके से पंचायत की फर्जी ग्राम पंचायत की पंजी पर बंटवारा करा लिया गया जिसकी जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की थी जो निरस्त किए जाने से इसी आदेश के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— उन्होंने तर्क में कहा है कि आवेदक के बाहर पदस्त रहने के कारण उसने अपनी भूमि को बटायी दी थी इसी आधार पर गुपचुप तरीके से अनावेदक गणों द्वारा नामांतरण पंजी पर तथाकथित बंटवारा आदेश करा लिया है जिसकी जानकारी 2004 में हल्का पटवारी से खसरा की नकल प्राप्त होने से विधिवत अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी तथा धारा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं था। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से भूमि क्रय की थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है इस कारण वह उसकी स्वअर्जित अलग से क्रय की गई स्वयं की भूमि है जिसे सम्मलित	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कर अनावेदकगणों द्वारा आवेदक के साथ छल किया है यहां तक की तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्ताव पारित कर फर्जी बंटवारा आदेश ग्राम पंचायत की बैठक पंजी पर पारित कराया है और अनावेदक क्र.4 जो कि आवेदक का सगा भाई पदासीन रहते हुए विधि विरूद्ध रूप से बंटवारा निष्पादित किया था जिसकी जानकारी होने पर प्रस्तुत अपील का निराकरण गुणदोषों पर किया जाकर फर्जी बंटवारा आदेश निरस्त किया जाना था जहां अधिकारिता रहित आदेश पारित किया गया हो वहां परिसीमा महत्वपूर्ण नहीं होने के आधार पर उन्होंने निगरानी स्वीकार करते हुए पारित आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— अनावेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि बंटवारा विधिवत किया गया है पेरशान करने हेतु आवेदक द्वारा इतने लंबे अंतराल पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है इस कारण प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 5— उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनाँक 26.05.1975 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें क्रेता लखनलाल द्वारा क्रय किए जाने का उल्लेख किया गया है जिसे ग्राम पंचायत की पंजी में किए गए बंटवारे में सम्मलित किया जाना पाया जाता है ऐसी स्थिति संशोधन पंजी/नामांतरण पंजी वर्ष 95—96 पर निष्पादित बंटवारा की कार्यवाही वैद्य नहीं मानी जा सकती। जहां मूल आदेश में ही वैधानिक प्रक्रिया के आभाव हो वहां परिसीमा महत्वहीन हो जाती है इस कारण प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2005 एवं नामांतरण पंजी पर पारित आदेश एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव क्र.3 पर पारित आदेश दिनाँक 31.03.1996 निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार महराजपुर का इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः बटवारा की कार्यवाही करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	